रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1970/पौष 27, 1891
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1970/PAUSA 27, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

**(Department of Internal Trade)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 17th January 1970*

S.O. 230.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Pepper and Ginger Merchants' Association Ltd., Bombay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of one year ending 18th January, 1971, in respect of forward contracts in pepper within the limits of Greater Bombay as defined in the Bombay General Clauses Act, 1904 (Bombay Act 1 of 1904), as in force in the State of Maharashtra.

The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such conditions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. 12(16)-IT/69.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय

### (आन्तरिक व्यापार विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1970

**का० आ० 230.**—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दी गई मान्यता के नवीकरण के लिए पैप्पर एण्ड जिंजर मर्चन्टस एसोसियेशन लिमिटेड द्वारा आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके विचार कर लेने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रवृत्त मुम्बई साधारण खंड अधिनियम 1904 (1904 का मुम्बई अधिनियम 1) में यथा परिभाषित बृहत्तर मुम्बई की सीमाओं के भीतर काली मिर्च में अग्रिम संविदाओं की बाबत उक्त एसोसियेशन 18 जनवरी, 1971 को समाप्त होने वाली 1 वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा मान्यता प्रदान करती है।

एतद्द्वारा दी गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उक्त एसोसियेशन ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दी जाये।

[सं० 12 (16)—आई० टी०/69]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970